


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-२३ / नौ-5-2018-228बजट/2011
लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2019

शुद्धि-पत्र


वित्तीय वर्ष 2018-19 में मथुरा स्थित गोकुल बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-455/2018/4910/नौ-5-2018-228बजट/2011, दिनांक 03.01.2019 के पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर त्रुटिवश कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ अंकित हो गया है। अतः उसे कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।


(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या- २३ (4)/नौ-5-18-228बजट/2011, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
 - 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
 - 3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
 - 4- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, मथुरा।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
 - 6- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
 - 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
 - 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
 - 9- मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई विभाग, 30प्र0 मेरठ/अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा/अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा।
 - 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव